अनुदान संख्या 6 – रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	273,39,00	273,41,00	227,35,56	-46,05,44
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				46,05,44
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	24,61,00	384,87,00	384,75,46	-11,54
पूरक	Supplementary	360,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2041.00	1771.04	1771.04	..
पु.	R.	-269.96			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2980.00			
			..	..	..
पु.	R.	-2980.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	22318.00			
पू.	S.	2.00	20964.52	20964.52	..
पु.	R.	-1355.48			

(I) ₹2980.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – पेट्रो–रसायन उद्योग (अन्य व्यय) के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹2980.00 lakhs remained wholly unutilized in three cases under Major Head "2552" - "Petro - Chemical Industries (Other Expenditure)" - under the following heads:-

(का) "प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान" – ₹580.00 लाख; और

(A) "Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET)" - ₹580.00 lakhs; and

(खा) "असम गैस क्रैकर कॉम्पलेक्स को सहायिकी" – ₹1000.00 लाख

(B) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex"- ₹1000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) "पेट्रो – रसायन की नई स्कीम" – ₹1400.00 लाख – असम प्लास्टिक पार्क के लिए तीसरी किस्त के जारी किए जाने के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(C) "New Scheme of Petrochemicals"- ₹1400.00 lakhs - due to non-receipt of proposal for release of 3rd installment for Assam Plastic Park

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – रसायन और पेट्रो – रसायन विभाग" – ₹269.96 लाख की बचत (₹2041.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, एलएएन अपग्रेडशन कार्य और जीइएम पोर्टल में तकनीकी कठिनाईयों को दूर न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Chemicals and Petrochemicals" - saving of ₹269.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2041.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-taking up of LAN upgradation work and technical difficulties in GeM Portal.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "2852" -savings occurred under the following heads:-

(का) "पेट्रो – रसायन उद्योग – अन्य व्यय – पेट्रो – रसायन की नई स्कीमें" – ₹2320.00 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्कों द्वारा अपेक्षित उपलब्धियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Petro-Chemical Industries - Other expenditure - New Schemes of Petrochemicals" - saving of ₹2320.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-attainment of required milestones by the Plastic Parks in Odisha, Madhya Pradesh and Tamil Nadu.

(खा) "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – रसायन और कीटनाशक" –

(B) "Chemical and Pharmaceutical Industries - Chemicals and Pesticides" -

(क) "भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985" – ₹341.72 लाख की बचत (₹2574.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) "Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" - saving of ₹341.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2574.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(ख) "कीटनाशक फार्मूलेशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान" – ₹206.78 लाख की बचत (₹916.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(b) "Grants to Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT)" - saving of ₹206.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹916.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹64.98 लाख का बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत था।

(IV) Under one head saving of ₹64.98 lakhs occurred constituting 32 percent of the total sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹998.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष "2852" – "पेट्रो – रसायन

2. (I) The above savings were partly (₹998.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

उद्योग – अन्य व्यय – असम गैस क्रैकर कॉम्पलेक्स को आर्थिक सहायता" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2852" – "पेट्रो – रसायन उद्योग – अन्य व्यय – सेन्ट्रल इंस्टिटयूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई– ₹580.00 लाख का अधिक व्यय (₹6228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2018 under Major Head "2852" - "Petro-Chemical Industries - Other Expenditure - Subsidy to Assam Gas Cracker Complex".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2852" - "Petro-Chemical Industries - Other Expenditure - Central Institute of Plastic Engineering and Technology" - excess of ₹580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6228.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.